कार्यवृत्त

सोमवार, 08 आश्विन, शक संवत्, 1940

(दिनांक : 24 सितम्बर, 2018)

खण्ड–51
अंक–4

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के मा0 सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर सरकार द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति न किये जाने संबंधी नियम–310 की अपनी सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे इस सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राहयता पर सुन लेंगे।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

मा0 सदस्य, कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' तथा श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि उन्हें जो कार्यसूची उपलब्ध करायी गई है, इसके साथ प्रश्नों के उत्तरालेख समय पर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि यह विषय विधान सभा सचिवालय से संबंधित है। इस संबंध में परम्परानुसार सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। इस विषय में वे उनके कक्ष में आकर वार्ता कर लें। तद्नुसार इसका समाधान कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 32 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 07 सूचनाएं स्वीकार कर रहे हैं। इस पर मा0 सदस्य श्री देशराज कर्णवाल ने अनुरोध किया कि क्योंकि आज सदन का अन्तिम दिन है इसलिये सभी सूचनाओं को ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार कर लिया जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा सभी निम्नलिखित मा0 सदस्यों के नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं को ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार किया गया जो पढ़ी हुई मानी गयीं :–

श्री खजानदास	जनपद देहरादून के अर्न्तगत विधान सभा क्षेत्र राजपुर में बिन्दाल एवं रिस्पना नदी के दोनों ओर जानमाल की सुरक्षा हेतु तटबंधों/सुरक्षा दीवारों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्री राजकुमार ठुकराल	जनपद ऊधमसिंहनगर के जिला मुख्यालय रूद्रपुर में मेडिकल कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''	जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड खानपुर के अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा भू–कटाव में नष्ट हुई कृषि भूमि एवं गन्ने की फसल का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।
श्री मनोज रावत	प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के पहाड़ी जिलों रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, चम्पावत तथा बागेश्वर में राजीव नवोदय विद्यालयों को बन्द करने की कार्यवाही के सम्बन्ध में।
श्री प्रीतम सिंह	जनपद नैनीताल के काठगोदाम में गौला नदी में मुरकुडिया (हैड़ाखान) ग्राम उड़वां तक पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
हाजी फुरकान अहमद	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर स्थित क्षतिग्रस्त गंगनहर पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी भूषण	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अर्न्तगत सीला सिंचाई नहर की मरम्मत न होने के कारण जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

श्री उमेश शर्मा (काऊ)	प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में निहित प्राविधानों के अनुसार निःशुल्क सेवाओं को प्रदान न दिये जाने के सम्बन्ध में।
श्री प्रीतम सिंह पंवार	विधान सभा धनोल्टी के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक तथा इण्टर कॉलेजों के भवनों की मरम्मत/पुर्ननिर्माण न होने से छात्र–छात्राओं को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	प्रदेश में राजस्व विभाग में पंजीकृत ग्राम प्रहरियों को होम गार्ड, पी0आर0डी0 की तर्ज पर अनुसेवकों के पदों पर समायोजित न करने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।
श्री राजकुमार	प्रदेश में स्वीकृत विभिन्न सड़क मार्गों का निर्माण कार्य इन मार्गों पर पड़ने वाले वृक्षों के पातन हेतु ठोस एवं कारगर नीति न होने से बाधित होने के सम्बन्ध में।
श्री हरबंस कपूर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र कौलागढ़ में 13वें वित्त आयोग के माध्यम से वर्ष 2013 में डाली गई सीवर लाइन हेतु अभी तक सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट का निर्माण न किये जाने के सम्बन्ध में।
श्रीमती ममता राकेश	प्रदेश में खाद्य विभाग की वैबसाइट न खुल पाने से राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया ठप पड़ने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने के सम्बन्ध में।
श्री गणेश जोशी	विधान सभा क्षेत्र मसूरी अर्न्तगत मिठ्ठी बेहड़ी में अतिक्रमण अभियान के दौरान पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन स्वामियों के विस्थापन एवं आंशिक क्षतिग्रस्त भवन स्वामियों को मुआवजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
श्री बलवन्त सिंह भौर्याल	विधान सभा क्षेत्र कपकोट में विभिन्न मोटर मार्गों का निर्माण न होने के कारण क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
श्रीमती मीना गंगोला	विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अर्न्तगत पव्वाधार, नैनी जागेश्वर वाया सेरागड़ा मोटर मार्ग की वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति न मिल पाने के सम्बन्ध में।
श्री सुरेश राठौर	प्रदेश में पर्यावरण और पहाड़ों के संवर्धन के लिये पर्यावरण संवर्धन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्री संजय गुप्ता	विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अर्न्तगत शूगर फैक्ट्री तथा डिसटिल्ड लीकर फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पदार्थों एवं धुएं से हो रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में।
श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अर्न्तगत शिमला बाईपास में धर्मावाला–बड़ोवाला के मध्य सरकारी अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में।
श्री पुष्कर सिंह धामी	प्रदेश में सितारगंज चीनी मिल के बन्द होने के कारण खटीमा, नानकमत्ता तथा सितारगंज के गन्ना किसानों की गन्ने की खपत न होने की चिन्ता के सम्बन्ध में।
श्री धन सिंह नेगी	टिहरी बाँध की जल भराव की सीमा 830 मीटर तक किये जाने से होने वाले तात्कालिक नुकसान के सम्बन्ध में।

डा0 प्रेम सिंह राणा	विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के अर्न्तगत सितारगंज के ग्राम देवीपुरा, गिधौर, चैतुवाखेड़ा तथा ज्ञानपुर गौढ़ी में निवासरत ग्रामीणों के भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह जाने के सम्बन्ध में।
श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल	प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अर्न्तगत फिजियोथेरेपिस्ट संवर्ग की नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में।
श्री राम सिंह कैड़ा	विधान सभा क्षेत्र भीमताल के लधिया नदी, गौला नदी के किनारे चैकडाम बनाने के सम्बन्ध में।
श्री बिशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ में 01 व 02 जुलाई को हुई अतिवृष्टि के कारण ग्राम पंचायत कौली व ग्राम हुड़की के मकानों को उत्पन्न खतरों के सम्बन्ध में।
श्री चन्दन राम दास	प्रदेश में राजस्व विभाग में पंजीकृत ग्राम प्रहरियों को होम गार्ड, पी0आर0डी0, स्वयंसेवकों की तर्ज पर अनुसेवकों के पदों पर समायोजित न करने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।
श्री आदेश चौहान	प्रदेश में माझन के पत्तों का प्रयोग करने वाले छोटे दुकानदारों का उत्पीड़न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
श्री महेश सिंह नेगी	विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अर्न्तगत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, द्वाराहाट में एम0एस0सी0 कक्षाओं का संचालन न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।
श्री यतीश्वरानन्द	विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में चंडी घाट बस्ती में पिछले चालीस वर्षों से निवास कर रहे कई हजार गरीबों को वैकल्पिक व्यवस्था किये बिना उनकी जमीन खाली कराने से उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में।
श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्रकर्णप्रयाग के अर्न्तगत निर्मित खजूरखाल दुर्गा देवी मोटर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्री देशराज कर्णवाल	जनपद देहरादून के अर्न्तगत डी0एल0 रोड 134 अम्बेडकर मार्ग स्थित अम्बेडकर ग्राउण्ड को भू–माफियाओं से कब्जा मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में।
श्री केदार सिंह रावत	प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को वर्तमान में दिये जा रहे 14 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री देशराज कर्णवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सुसाडी में देवबन्द मेन मार्ग से डा0 महावीर के खेत बन्दर जुड्डा सम्पर्क मार्ग तक सी0 सी0 सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में'' श्री टीनू आनन्द पुत्र श्री सुभाष ग्राम सुसाड़ी खुर्द पो0 लखनौता, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

12 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

श्री देशराज कर्णवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सुसाडी खुर्द उर्फ गोकलपुर में मेन सड़क से जुड्डा वाला मार्ग की ओर सी0 सी0 सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में'' श्री गिलौरी पुत्र श्री ग्यासी राम ग्राम सुसाड़ी खुर्द पो0 सरस्वती नगर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सफरपुर में रविदास मंदिर का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में'' श्री राजेन्द्र पुत्र श्री कलीराम ग्राम सफरपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री नवीन चन्द्र दुम्का, मा0 सदस्य ने पूर्व में दी गई अपनी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर मा0 उपाध्यक्ष से विनिश्चय करने का अनुरोध किया। इस पर मा0 उपाध्यक्ष ने कहा कि उनकी सूचना पर कार्यवाही गतिमान है, तथा विनिश्चय होने पर उन्हें अवगत करा दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 07 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से वे मा0 सदस्य श्री मनोज रावत, श्री प्रीतम सिंह, हाजी फुरकान अहमद एवं श्रीमती ममता राकेश की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राहयता पर सुन लेंगे। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

इस पर विपक्ष के मा0 सदस्यों ने अनुरोध किया कि आज सत्र का अंतिम दिन होने के कारण सभी सूचनाओं को ग्राहयता पर सुन लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष ने शेष सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

12 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के संबंध में नियम–58 की सूचना पर मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा मा0 सदस्य, श्री मनोज रावत ने विचार व्यक्त किये।संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

राज्य आन्दोलनकारियों की मांगो के निराकरण के संबंध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह ने विचार व्यक्त किये।संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। उत्तराखण्ड प्रदेश का निर्माण असंख्य आन्दोलनकारियों के त्याग और बलिदान एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्री अटल बिहारी वाजपेयी के आशीर्वाद से हुआ है। राज्य सदैव उन सभी का ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि सभी आन्दोलनकारियों के अद्वितीय एवं अमूल्य योगदान के आभारस्वरूप जो भी लाभ, पेंशन, सम्मान, सुविधायें सरकार दे पाये, वह कम है। इस संबंध में कोई भी कमी या लापरवाही का कोई स्थान नहीं है। इस संबंध में समय–समय पर विभिन्न आन्दोलनकारियों, संस्थाओं द्वारा उनके चिन्हीकरण के मानक निर्धारण की स्पष्ट व्याख्या की जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में आन्दोलन किये जा रहे हैं।

यह अत्यन्त संवदेनशल विषय है। अतः व्यापक जनहित में यह आवश्यक है कि सरकार इस प्रकरण में उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में एक समेकित एवं स्पष्ट नीति की अधिसूचना जारी करे जिससे असमंजस एवं अस्पष्टता की स्थिति दूर हो सके और एक निश्चित अवधि के अन्तर्गत इन सभी प्रकरणों का निस्तारण सम्भव हो सके।

ग्राम पंचायत से नगर पंचायत तथा नगर निगम में सम्मिलित किये जाने से विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर के रामपुर, पाडली, गुज्जर, सुनहैरा तथा शफीपुर गांवों में विकास कार्य बाधित होने के संबंध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य, श्री फुरकान अहमद ने विचार व्यक्त किये।शहरी विकास मंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

प्रदेश में विगत 06 महीने से इमरजैंसी किट के अभाव में स्वास्थ्य महानिदेशालय में खड़ी 108 एम्बुलेंस सेवा वाहन एवं फण्ड की कमी से खुशियों की सवारी वाहन बन्द होनेसे व्याप्त कठिनाइयों के संबंध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य, श्री ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये।संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति न किये जाने संबंधी सूचना पर मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल एवं श्री मनोज रावत ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण से असन्तुष्ट होने पर नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी मा0 सदस्य जोर–जोर से अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गये

जिससे व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि मा0 सदस्य अपना–अपना स्थान ग्रहण करें। परन्तु विपक्ष के मा0 सदस्य 'वेल' में ही जोर जोर से अपनी बात कहने लगे और नारे लगाने लगेजिससे घोर व्यवधान होने लगा। घोर व्यवधान के मध्य ही श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बन गए ।

घोर व्यवधान के ही मध्य शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की कार्यवाही 01 बजकर 55 मिनट पर भोजनावकाश के लिये 03:00 बजे तक स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री हरबंस कपूर मा0 सदस्य, विधान सभा ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु ''राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।''

उपर्युक्त संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, मा0 सदस्य, विधान सभा ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।''

उपर्युक्त संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री धन सिंह नेगी, मा0 सदस्य, विधान सभा ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।''

उपर्युक्त संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री देशराज कर्णवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकासखण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

उपर्युक्त संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, मा0 सदस्य, विधान सभा का नाम श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा पर विचार व्यक्त करने लिये पुकारा गया परन्तु मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए प्रदेश के प्रत्येक गांव/तोकों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाये।''

उपर्युक्त संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री चन्दन राम दास, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्पपर चर्चाउनके भाषण से आरम्भ हुई :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य शराब व व्यसनमुक्त हो तभी देव भूमि की कल्पना साकार होगी।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त मा0 सदस्य श्री चन्दन राम दास द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन की अनुमति से वापस हुआ।

श्री शक्ति लाल शाह, मा0 सदस्य, विधान सभा का नाम श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर विचार व्यक्त करने हेतु पुकारा गया **परन्तु मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे। :–**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया ''बाल गंगा विकास खण्ड'' बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

उपर्युक्त संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री भरत सिंह चौधरी, मा0 सदस्य, विधान सभा का नाम श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर विचार व्यक्त करने हेतु पुकारा गया **परन्तु मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे। :–**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।''

उपर्युक्त संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चाउनके भाषण से आरम्भ हुई :–

''देहरादून–मसूरी–सुवाखोली–अलमस–भवान–नगुण (उत्तरकाशी) मोटर मार्ग कोनगुण तक तथा देहरादून–मसूरी–कैम्टीफॉल–यमुनापुल– नौगांव–बड़कोट–जानकीचट्टी मोटर मार्ग को ऑलवैदर रोड परियोजना में सम्मिलित किये जाये।''

निम्नलिखित सदस्यों ने भी विचार व्यक्त किये :–

1. श्री खजानदास, 2.श्री केदार सिंह

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार द्वारा प्रस्तुत संकल्प अस्वीकृत हुआ।

श्री धन सिंह नेगी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा उनके भाषण से आरम्भ हुई :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में सड़क दुर्घटनाओं व दैवीय आपदा से मारे गये लोगों के आश्रितों को एकमुश्त एक समान धनराशि का प्राविधान होना चाहिए।''

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त मा0 सदस्य श्री धन सिंह नेगी द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन की अनुमति से वापस हुआ।

मा0 सदस्य, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने श्री अध्यक्ष से अनुरोध किया कि उन्हें किसी अत्यावश्यक कार्य से कुछ समय के लिये जाना पड़ा और उनके द्वारा अपने संकल्प की बारी आने का समय गलत अनुमान हो जाने के कारण वे सदन में संकल्प पर चर्चा के लिए उपस्थित नहीं रह सके जिसके लिए वे खेद व्यक्त करते हैं और उनका अनुरोध है कि विषय अत्यन्त गंभीर और लोकमहत्व का होने के कारण नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त संकल्प पर विचार व्यक्त करने की अनुमति प्रदान की जाये। श्री अध्यक्ष ने कहा कि सदन का कार्य आगे बढ़ चुका है। इस पर मा0 सदस्य ने अपना आग्रह पुनः दोहराया। कई बार आग्रह करने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे अनुमति दे रहे हैं परन्तु इसे नजीर न बनाया जाये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा उनके भाषण से आरम्भ हुई :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए, प्रदेश के प्रत्येक गांव/तोकों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय'

संसदीय कार्य के उत्तर भाषण के उपरान्त मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन की अनुमति से वापस हुआ।

श्री देशराज कर्णवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई :–**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय।''

श्री धन सिंह नेगी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई :–**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

काजी मौ0 निजामुद्दीन, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प **पर चर्चा हेतु नाम पुकारा गया परन्तु मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।**

उपर्युक्त संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय।''

श्री नवीन चन्द्र दुम्का, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई :–**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय।''

श्रीमती ममता राकेश, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर **चर्चा हेतु नाम पुकारा गया परन्तु मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थी।**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय।'

उपर्युक्त संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

'श्रीमती ममता राकेश, मा0 सदस्य का नाम नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया **परन्तु मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थी :–**

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ''डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।'

श्री प्रीतम सिंह पंवार मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गयाः–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।''

उपर्युक्त प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री देशराज कर्णवाल, मा0सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदाग्रस्त घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।'

उपर्युक्त प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री मुन्ना सिंह चौहान, मा0 सदस्य का नाम नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया **परन्तु मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे :–**

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि सार्वजनिक स्थलों पर विशेष रूप से सड़कों पर घूमने वाले पशुओं के बारे में सरकार द्वारा स्पष्ट व्यवस्था बनायी जाय, जिससे कि पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।''

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2017 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा उनके भाषण से आरम्भ हुई। :–

''गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति प्रदेश की सभी नदियों का स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय, एवं नदियों में निरन्तर प्रवाह बनाये रखने के लिए नदियों को आपस में जोड़ा जाय।''

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त मा0 सदस्य,श्री सुरेन्द्र सिंह जीना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन की अनुमति से वापस हुआ।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा उनके भाषण से आरम्भ हुई :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में अन्य प्रदेशों की भांति उत्तराखण्ड के निवासियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रदेशवासियों को यह यात्रा निःशुल्क कराने पर विचार किया जाय।''

पर्यटन मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त मा0 सदस्य, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन की अनुमति से वापस हुआ।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा उनके भाषण से आरम्भ हुई :–

''यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाये''

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इसी सत्र में इसी विषयक पर संकल्प पारित हो चुका है। अतः अनुरोध है कि मा0 सदस्य अपना यह प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष ने भी कहा कि चूंकि इसी सत्र में दिनांक 19 सितम्बर के उपवेशन में उक्त विषयक संकल्प पारित हो चुका है, अतः मा0 सदस्य क्या अपना प्रस्ताव वापस लेंगे।

मा0 सदस्य ने सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया।

श्री देशराज कर्णवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई :–**

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।''

श्री प्रीतम सिंह पंवार, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई :–**

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी–छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।''

श्रीमती ममता राकेश, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुईः–**

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।''

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2017 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचनापर चर्चा उनके भाषण से आरम्भ हुई :–

''प्रदेश में विशेषतः उत्तर प्रदेश की भांति किसानों का ऋण मॉफ कर दिया जाय।''

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त चर्चा समाप्त हुई।

श्री देशराज कर्णवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुईः–**

''प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।''

श्री देशराज कर्णवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुईः–**

''प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

श्री अध्यक्ष द्वारा, दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गई घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय :–

''सतत् विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)'' पर चर्चा मा0 सदस्य श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी भूषण के भाषण से आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि ''सतत् विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)'' विषय पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।वे इन सभी सूचनाओं का ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार कर रहे हैं।

जनपद ऊधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय रूद्रपुर में सीवर लाईन के अतिशीघ्र निर्माण के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री राजकुमार ठुकराल,

उत्तराखण्ड प्रदेश में वर्ष 2017 में नगर निगमो, नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के सीमा विस्तार के तहत प्रस्तावित ग्राम सभाओं में केन्द्रीय ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा ग्राम विकास हेतु प्रस्तावित धनराशि को सीमा विस्तार के कारण वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में अवमुक्त न किये जाने से विकास कार्य प्रभावित होने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री उमेश शर्मा (काऊ),

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र कलियर में शासन द्वारा राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज स्वीकृत किये जाने के बाद भी कोई निर्माण कार्य न होने के सम्बन्ध मेंमा0 सदस्य हाजी फुरकान अहमद,

शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक (औपबन्धिक) की तर्ज पर समानता के आधार पर नियुक्ति न प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार,

देहरादून महानगर के बीचोंबीच बहने वाली बिन्दाल नदी से चुगान न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री हरबंस कपूर,

प्रदेश में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यायाम शिक्षक एवं इन्टर स्तर पर व्यायाम प्रवक्ताओं की नियुक्ति न करने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध मेंमा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना,

प्रदेश में भू–अध्यादेश अधिनियम लागू किये जाने के सम्बन्ध मेंमा0 सदस्य श्री गणेश जोशी,

विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अर्न्तगत वर्ष 2008 में स्वीकृत बेलपट्टी पम्पिंग योजना के निर्माण न होने से उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध मेंमा0 सदस्य श्रीमती मीना गंगोला,

विधान सभा क्षेत्र कपकोट में भारी वर्षा के कारण हो रहे भू कटाव व क्षतिग्रस्त सड़कों के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री बलवन्त सिंह भौर्याल,

विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा में तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के द्वारा की गयी घोषणाओं के अन्तर्गत आने वाली सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री देशराज कर्णवाल,

विनायकधार–कस्वीनगर, जिला चमोली मोटर मार्ग के सम्बन्ध मेंमा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी,

प्रदेश के बांध विस्थापित शहर नई टिहरी में अविकसित प्लाटों को विकसित करने में अतिरिक्त जमीन का लीज रैंट जमा करस्थायीकरण किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री धन सिंह नेगी,

भीमताल विधान सभा के पदमपुरी, हैड़ाखान–बवियाड़– भौड़िया साननी पुल व मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध मेंमा0 सदस्य श्री राम सिंह कैड़ा,

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य डा0 प्रेम सिंह राणा,

प्रदेश में टनकपुर–बागेश्वर रेल लाईन के निमार्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मेंमा0 सदस्य श्री चन्दन राम दास,

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 2014 में स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय मुवाली के भवन का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मेंश्री विशन सिह चुफाल तथा

विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त द्वाराहाट पशु चिकित्सालय के भवन का जीर्णोद्धार न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री महेश सिंह नेगी

की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया।

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र व ब्लॉक भीमताल के अन्तर्गत ग्राम अलचौना में कल्सा नदी के नालों से ग्रामीणों को होने वाले खतरे के निवारण के सम्बन्ध में श्री राम सिंह कैड़ा, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को दी गई सूचना पर, सिंचाई मंत्री ने नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्यदिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत गैरसैंण, आदिबद्री तथा कर्णप्रयाग में 108 एम्बुलेन्स सेवा में संचालित किये जा रहे वाहनों की जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में'' श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्यमंत्री ने नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्यदिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित की जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन का उपवेशन 04 बजकर 55 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुआ।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।